फर्द अहकाम

सरकार बनाम किशनलाल वगैरा

नाम न्यायालय

केस संख्या रे० रिफ० नि० 17/2016

क्रम संख्या	दिनांक आक्षा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26-6-18	पत्रावली पेश हुई। आवाज दिलाई गई। पक्षकार अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थीगण फिलहाल वकालतन अनुपस्थित। अतः एकपक्षीय बहस सुनी गई। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर यह राय दे माननीय राजस्व मण्डल राज०, अजमेर को भेजे जाने के आदेश दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। पक्षकार मा० राजस्व मण्डल राज०, अजमेर में दिनांक 28.8.18 को उपस्थित हो। नियत दिनांक से पूर्व पत्रावली मय जावक पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो बाद निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 17/2016

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. किलाण पुत्र नरसी, जाति–ब्राह्मण, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, जयपुर।
2. कल्याण पुत्र बालाबक्स, जाति–ब्राह्मण, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, जयपुर।
3. रामसहाय पुत्र बाछूलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील –जयपुर (मृतक)।
   - 3/1 गोविन्दसहाय पुत्र स्व0 श्री रामसहाय, निवासी–धनश्याम भवन, अजय सर्किल के पास, शुभम हॉस्पिटल के बराबर में, झोटवाडा, जयपुर।
   - 3/2 सत्यदेव पुत्र स्व0 श्री रामसहाय, निवासी–8/30, विद्याधर नगर, तहसील–जयपुर (मृतक)।
     - 3/2/1 जुगलकिशोर पुत्र स्व0 श्री सत्यदेव शर्मा, निवासी–8/30, विद्याधर नगर, तहसील–जयपुर।
     - 3/2/2 सुशीला पत्नी स्व0 श्री सत्यदेव शर्मा, निवासी–8/30, विद्याधर नगर, तहसील–जयपुर।
     - 3/2/3 शारदा पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्री स्व0 श्री सत्यदेव, जाति–ब्राह्मण, निवासी–162 ईस्ट, विश्वेशरीया नगर, गोपालपुरा बाईपास, तहसील–जयपुर।
     - 3/2/4 उषा पत्नी श्री कुष्ण शर्मा, पुत्री स्व0 श्री सत्यदेव, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ई–61, प्रेम नगर, झोटवाडा जयपुर।
     - 3/2/5 शशि पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्री स्व0 श्री सत्यदेव, जाति–ब्राह्मण, निवासी–प्लाट नं0–9, इन्द्रपुरी, झोटवाडा, जयपुर
     - 3/2/6 नवीन पुत्र रमेशचन्द, पौत्र रामसहाय, जाति–ब्राह्मण, निवासी–अशोक विहार, धमोड अस्पताल के पीछे, तहसील – चौमू, जिला–जयपुर।
     - 3/2/7 विद्या देवी पत्नी श्री रमेशचन्द, जाति–ब्राह्मण, निवासी–अशोक विहार, धमोड अस्पताल के पीछे, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
4. किशनलाल पुत्र श्री बाछूलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर (मृतक नाऔलाद)।
5. धनश्याम पुत्र श्री बाछूलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर (मृतक नाऔलाद)।
6. छोटू पुत्र चुन्नीलाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम बोयतावाला, तहसील–जयपुर।

अप्रार्थीगण

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 26.06.2018

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–नांगल जैसा बोहरा की आराजी खसरा नं0 30 रकबा 05 बीधा 06 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री गोपाल जी व.अ. किलाण पुत्र नरसी हि0 1/3 व कल्याण पुत्र बालाबक्स हि0 1/3 व रामसहाय व किशनलाल व धनश्याम पि0 बाछूलाल हि0 बराबर 1/3 जाति–ब्राह्मम्ण साकिन देह खुदकाश्त मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थीं जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री गोपाल जी व.अ. किलाण पुत्र नरसी हि0 1/3 व कल्याण पुत्र बालाबक्स हि0 1/3 व रामसहाय व किशनलाल व धनश्याम पि0 बाछूलाल हि0 बराबर 1/3 जाति–ब्राह्मम्ण साकिन देह खुदकाश्त की बजाय छोटू पुत्र चुन्नीलाल, जाति जाट के नाम दर्ज हो गई जो पुनः माफी मन्दिर श्री गोपाल जी साकिन देह खुदकाश्त के नाम दर्ज की जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी के फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कायमी–मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया। नोटिस जारी किये गये बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री गोपाल जी व.अ. किलाण पुत्र नरसी हि0 1/3 व कल्याण पुत्र बालाबक्स हि0 1/3 व रामसहाय व किशनलाल व धनश्याम पि0 बाछूलाल हि0 बराबर 1/3 जाति–ब्राह्मम्ण साकिन देह व कॉलम सं0 05 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल में खुदकाश्त दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थी छोटू पुत्र चुन्नीलाल, जाति–जाट के नाम हस्तानान्तरित कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कर दिया गया जो अनुचित हैं बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री गोपाल जी साकिन देह खुदकाश्त के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत 2015–2034 में माफी मन्दिर श्री गोपाल जी व.अ. किलाण

पुत्र नरसी हि0 1/3 व कल्याण पुत्र बालाबक्स हि0 1/3 व
व धनश्याम पि0 बाछूलाल हि0 बराबर 1/3 जाति–ब्राहम्ण साकिन देह खुदकाश्त दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी द्वारा भी काश्त की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाबिज भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री गोपाल जी व.अ. किलाण पुत्र नरसी हि0 1/3 व कल्याण पुत्र बालाबक्स हि0 1/3 व रामसहाय व किशनलाल व धनश्याम पि0 बाछूलाल हि0 बराबर 1/3 जाति–ब्राह्मम्ण साकिन देह खुदकाश्त की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत् प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री गोपाल जी खुदकाश्त दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काबिज–काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री गोपाल जी साकिन देह खुदकाश्त की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् **2047–2050** में निजी खातेदारी अप्रार्थी छोटू पुत्र चुन्नीलाल, जाति–जाट के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री गोपाल जी वाके देह खुदकाश्त के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को मा0 राजस्व मण्डल राज0, अजमेर में दिनांक 28.08.2018 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया ।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/6/18

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर